UPAU010007392026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, औरैया

उपस्थितः-**पारूल जैन, (उच्चतर न्यायिक सेवा)** J.O. Code UP-2391

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-**277/2026**

मनीष कुशवाहा पुत्र देवेन्द्र कुशवाहा निवासी ग्राम रेव थाना मौठ जिला झांसी

.... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **...............अभियोजन पक्ष**

मुकदमा अपराध संख्या-25/2025

धारा-318(4), 317(2), 338, 336(3), 340(2)बी.एन.एस. व 66 डी आई.टी. एक्ट

थाना-साइबर क्राइम पुलिस थाना औरैया, औरैया **जनपद** औरैया

दिनांकः 10.03.2026

1. प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या **277/2026** प्रार्थी/अभियुक्त **मनीष कुशवाहा** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या **25/2025** अन्तर्गत धारा **318(4), 317(2), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस. व 66 डी आई.टी. एक्ट** ,थाना **साइबर क्राइम पुलिस थाना औरैया, औरैया** जनपद औरैया के मामले में अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थिनी निधि वर्मा पत्नी सौरभ कुमार निवासी संजय नगर थाना दिबियापुर जनपद औरैया की रहने वाली है। उसके मो0 नं0-9536194474 पर दिनांक 31.10.2025 को वाटसप के माध्यम से दो नम्बरो से काल आई जिनके मोबाइल नं0 7423682044, 6398432275 है और उसे बताया कि वह लन्दन में रहता है आपके लिये कुछ सोना व हीरे जवाहरात भेज रहा है उसके द्वारा यह भी कहा गया को आपका पार्सल मुम्बई एयरपोर्ट तक आ चुका है पार्सल का क्लीयरेन्स करने के लिये उसके द्वारा बताये गये खातो मे क्रमशः A/C-35617771816 में 4,50,000 रूपये, A/C-31750542187 मे 2,70,000 रूपये, A/C -30875212790 में 6,30,000 रूपये, A/C-44542022362 मे 5,50,000 रूपये, A/C-44593249667 में 4,75,000 रूपये, A/C-44516369599 मे 3,50,000 रूपये, A/C-44358316884 मे 2,20,000 रूपये, A/C-44491585729 मे 3,00000 रूपये व A/C-20093474348 में 1,00000 रूपये, A/C-40911011002735 मे 18925 रूपये उसके द्वारा धीरे-धीरे करके भेजती गयी तथा जब उसे जानकारी हुयी की उपरोक्त नम्बरे से जो व्यक्ति बात कर रहा है वह उसके साथ फ्राण्ड कर रहा है तथा उसके द्वारा उसे कुल 33,63,925 रूपये की ठगी कर ली गयी है तब उसके द्वारा साइबर थाना मे आकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वह उपरोक्त अपराध में पूर्णतया झूठा लिप्त किया गया है जबकि वह पूर्णतया निर्दोष है। वादिनी द्वारा जो प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई गयी है उससे स्पष्ट है कि वादिनी के कोई घटना घटित नहीं हुई है और न ही उसने अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी अंकित नहीं कराया है कि इतना रूपया उसके पास कहा से किस प्रकार से आया और किस किस खाते में भेजा गया है। वह मजदूर व्यक्ति है और घटना के समय मौजूद नहीं था, न ही कथित घटना उसके द्वारा कारित की गयी है। वह पूर्णतया निर्दोष है तथा उक्त मामले में झूठा फसाया गाय है उसने कोई अपराध कारित नही किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के

Digitally signed by PARUL JAIN
Date: 2026.03.10 13:28:19 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and Sessions Court-1,Auraiya

काफी विलम्ब में अंकित करायी गयी है। विलम्ब का कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। जिससे प्रथम सूचना रिपोर्ट दृष्टया सम्पूर्ण अभियोजन कथानक संदेहास्पद प्रतीत होता है। प्रस्तुत मामले में नामजद अभियुक्त नहीं है। उसको सह अभियुक्त दृगपाल व सत्यपाल के पुलिस हिरासत में दिये गये बयान के आधार पर उसको अभियुक्त के रूप में थाना पुलिस तलाश कर रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का कोई भी स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षी होना वर्णित नही है प्रथम सूचना में रिपोर्ट मे दर्शाये गये बैंक खाता व मोबाइल नं0 से उसका कोई मतलब व सरोकार नहीं है। उसके विरुद्ध कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। वादिनी मुकदमा ने काफी सोच समझकर सलाह मशविरा से उसके विरूद्ध काफी बिलम्ब से अंकित करायी हैं। प्रथम प्रतिभू प्रार्थनापत्र में टाइपिस्ट की भूल से त्रुटिवश धारा गलत वर्णित हो गयी थी जिससे उसके द्वारा प्रार्थनापत्र नॉटप्रेस कर दिया गया था। पुनः यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रहा है। वह दौरान विचारण किसी गवाह को न प्रभावित करेगा और न ही डरायेगा और न ही धमकायेगा और न ही लालच देगा और विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। न्यायालय अथवा विवेचनाधिकारी द्वारा बुलाये जाने पर हाजिर आयेगा। वह बिना न्यायालय को सूचित किये भारतवर्ष नहीं छोडेगा। वह अपनी ओर से विश्वसनीय जमानत देने को तैयार है तथा दौरान विचारण मुकदमा अग्रिम जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः उसको दौरान विचारण अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी है।

4. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादिनी को उसके मो0 नं0–9536194474 पर दिनांक 31.10.2025 को वाटसप के माध्यम से काल करके उसे यह बताकर कि वह लन्दन में रहता है कुछ सोना व हीरे जवाहरात भेजने का लालच देकर उसके साथ मोबाइल के जरिए एकाउन्ट से 33,63,925 रूपये की ठगी की गयी है। अभियुक्त का नाम विवेचना के दौरान सहअभियुक्तगण द्वारा लिया गया है। सहअभियुक्तगण द्वारा फर्जी आई.डी. बनाकर लालच देकर वादिनी से खाते में पैसे डलवाये गये। विवेचना प्रचलित है। अपराध की गम्भीरता को देखते हुये अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाना चाहिए।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पैरा संख्या 9 में यह उल्लेखित किया गया है कि प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र टाइपिस्ट की भूल से त्रुटिवश धारा गलत वर्णित हो जाने की वजह से नॉटप्रेस कर दिया गया था।

7. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.2026 को प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र नोटप्रेस किये जाने की वजह से निरस्त किया गया।

8. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादिनी को मोबाइल के जरिए वाटसप के माध्यम से काल करके उसे यह बताकर कि वह लन्दन में रहता है और कुछ सोना व हीरे जवाहरात भेजने का लालच देकर उसके साथ मोबाइल के जरिए एकाउन्ट से 33,63,925 रूपये की ठगी करने का आरोप है। इस प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है परन्तु अभियुक्त का नाम विवेचना के दौरान सहअभियुक्तों द्वारा लिया गया है। पुलिस आख्या में अभियुक्त द्वारा विवेचना में किसी प्रकार का सहयोग नहीं किये जाने का कथन किया गया है तथा अभियुक्त द्वारा भोले–भाले लोगों को गुमराह करके ठगी किये जाना पुलिस आख्या में वर्णित है। सी.डी. पर्चा नम्बर 2 में वादिनी ने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट में किये गये कथन का समर्थन किया है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 18.11.2025 को दर्ज करायी गयी है। यह प्रकरण साइबर अपराध से सम्बन्धित है। अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आपराधिक इतिहास नहीं होना जमानत देने का कारण नहीं हो सकता है। सम्बन्धित धाराओं में दस वर्ष तक एवं आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। सहअभियुक्त की जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निरस्त की गयी है। It has been held by Hon’ble Supreme Court in Nikita ... vs The State Of Maharashtra on 21 July, 2025

and in Srikant Upadhyay vs The State Of Bihar on 24 July, 2023 that anticipatory bail is an exceptional remedy and ought not to be granted in a routine manner. There must exist strong reasons for extending indulgence of this extraordinary remedy to a person accused of grave offences. अतः वाद के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रकरण के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **मनीष कुशवाहा** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 25/2025 अन्तर्गत धारा 318(4), 317(2), 338, 336(3), 340(2) **बी.एन.एस. व 66 डी आई.टी. एक्ट**, थाना- **साइबर क्राइम पुलिस थाना औरैया, औरैया** जनपद औरैया के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 277/2026 न्यायहित में निरस्त किया जाता है।

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम,
औरैया